न्यायालय कलेक्टर जिला –सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)/2022-23

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को नजूल भूमि का अन्तरण।

संशोधित आदेश

(आज दिनांक 26 जून, 2024 को पारित एवं घोषित)

वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल, सिंगरौली द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक0/3753 सिंगरौली दिनांक 10.06.2024 द्वारा लेख किया गया है कि कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)2022-23 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 द्वारा जल जीवन मिशन- समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत उसके क्रियान्वयन में प्रभावित जिले के विभिन्न वन खण्डों की लगभग 91.00 हेक्टर वन भूमियों के बदले ग्राम पिपरी तहसील चितरंगी स्थित शासकीय नजूल आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 20.80 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग को अंतरित की गई है, जबकि उक्त अंतरित भूमि में से अंशभाग 17.00 हेक्टर रकबा ही वन विभाग द्वारा उपयुक्त पाई गई है। अतएव वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उन्हे अंतरित 20.80 हेक्टर में से वनीकरण हेतु उपयुक्त 17.00 हेक्टर भूमि का अंतरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा जल जीवन मिशन के लिए नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, बैढ़न एवं उपखण्ड अधिकारी/नजूल अधिकारी, चितरंगी के प्रस्ताव पर ग्राम पिपरी तहसील चितरंगी स्थित शासकीय नजूल आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 20.80 हेक्टर वन विभाग को अंतरित की गई है। वन विभाग द्वारा उन्हे अंतरित 20.80 हेक्टर भूमि में से क्षतिपूर्ति हेतु चयनित 17.00 हेक्टर भूमि उपयुक्त होना बताया है। एतदर्थ इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)2022-23 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरित ग्राम पिपरी तहसील चितरंगी स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 245 रकबा 20.95 हेक्टर भूमि में से चयनित अंश रकबा 17.00 हेक्टर का अंतरण मध्यपदेश शासन, वन विभाग को किया जाता है। उक्त आराजी का शेष 3.95 हेक्टर रकबा पूर्ववत मध्य प्रदेश शासन नजूल दर्ज अभिलेख रहेगा। तहसीलदार, तहसील चितरंगी तद्नुसार अभिलेखीय प्रविष्टिया दुरुस्त कराये। साथ ही अन्तरित किये गए एवं शेष बची नजूल भूमि के प्लाटो का संधारण कराते हुए अंतरित भूमि का अधिपत्त वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अधिकृत वन अधिकारी को दिलाते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(चन्द्र शेखर शुक्ला)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

क्रमशः

पृष्ठांकन क्रमांक 24 /अभि0पासबुक/2024-25 सिंगरौली, दिनांक 26 जून, 2024

प्रतिलिपि:-

1- प्रधान वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2- वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3- उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी की ओर सूचनार्थ।
4- महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परि0क्रिया0 इकाई, सिंगरौली।
5- तहसीलदार, तहसील चितरंगी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)